झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांकः 3 पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–37/12–13/ 07/20-21 M(d) /राँची, दिनांकः 19.11.2020

प्रेषकः
  प्रशांत कुमार,
  सचिव।

सेवा में,
  महालेखाकार,
  झारखण्ड,
  पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय : जल संसाधन विभाग के उपक्रम झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको) को वित्तीय वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत रू० 18918156.00 (एक करोड़ नवासी लाख अठारह हजार एक सौ छप्पन रूपये) मात्र का अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2. जल संसाधन विभाग के उपक्रम झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको) को वित्तीय वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत रू० 18918156.00 (एक करोड़ नवासी लाख अठारह हजार एक सौ छप्पन रूपये) मात्र का अनुदान स्वीकृत प्रदान की जाती है।

3. झारखण्ड राज्य के भौगोलिक टोपोग्राफी के आलोक में उदवह सिंचाई योजना एवं छोटी–छोटी सिंचाई योजनाओं के निर्माण, संपोषण, संधारण तथा विकास के उद्देश्य से बिहार पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा 85 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट एरिगेशन कारपोरेशन, राँची (झालको) का गठन किया गया है। झालको को वाणिज्यिक संस्था के रूप में विकसित किया जाना है ताकि निगम अपना स्थापना भार स्वयं वहन कर सके एवं राज्य की छोटी–छोटी योजनाओं के निर्माण के माध्यम से विकास कार्य में योगदान दे सके। इस निगम के गठन से संबंधित निर्गत संकल्प संख्या 1283 दिनांक 26.04.2005 में यह स्पष्ट किया गया है कि झालको के कर्मियों के वेतन इत्यादि का भार निगम द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। पूर्व में यह परिकल्पना थी कि योजनाओं का कार्यान्वयन JHALCO द्वारा विभागीय रूप से सम्पन्न कराया जायगा तथा प्राक्कलन में समाहित संवेदक लाभांश की राशि JHALCO को आय के रूप में प्राप्त होगी। परन्तु पारदर्शिता के दृष्टिकोण से विभागीय पत्रांक–03 दिनांक–03.01.2017 द्वारा निर्णय ससूचित किया गया है कि JHALCO द्वारा 7% Centage के आधार पर कार्यो की निष्पादन निविदा के माध्यम से कराया जायगा।

4. वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में विभाग द्वारा झालको को कुल रू0 14.89 करोड़ की योजनाओं का कार्यान्वयन ही सौपा गया है, जिसके कारण झालको को यथेष्ट लांभाश नहीं मिल पाया है। निगम के कर्मियों के लिए वेतन भुगतान हेतु औसतन प्रति वर्ष लगभग रू० 2.00 करोड़ की आवश्यकता है।

3_37_12_13_J_AA

5. इस संस्था को कार्यान्वयन हेतु अत्यधिक कार्य इसलिए भी नहीं सौंपी जा सकती, क्योंकि संस्था के पास काई तकनीकी पदाधिकारी नहीं है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छोटी–छोटी योजनाओं के कार्यान्वयन का जिम्मा पंचायतो को सौंप दिया जाय। अतः भविष्य में भी अत्याधिक योजनाओं के कार्यान्वयन का जिम्मा इस संस्था को सौंपने की संभावना कम प्रतीत होती है।

6. उपर्युक्त कारणों से निगम अपने कर्मियों को वेतन का भुगतान नियमित रूप से नहीं कर पा रहा है। वेतन का भुगतान नहीं हो पाने के कारण कर्मियों द्वारा अत्याधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

7. झालको कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2020–21 का वेतन भुगतान करने हेतु झालको के पास निधि उपलब्ध नहीं है। तीन महीनों से झालको कर्मियो का वेतन भुगतान निधि के आभाव में लम्बित है।

8. वित्तीय वर्ष 2020–21 का झालको कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु वेतन सहायता अनुदान कुल राशि रू० 18918156.00 की मांग प्रबंध निदेशक, झालको रॉची द्वारा उनके पत्रांक–219 दिनांक–06.07.2020 द्वारा की गई है।

9. झालको वेतन अनुदान के अंतर्गत निर्गत आवंटन एवं व्यय का वर्षवार विवरण प्रबंध निदेशक, झालको द्वारा उपलब्ध कराया गया है जो निम्नवत् हैः–

क्र0	वर्ष	प्रारंभिक शेष की राशि	निर्गत अनुदान	कुल	व्यय	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	2016–17	-	5,00,00,000.00	5,00,00,000.00	2,15,09,258.00	2,84,90,742.00
2	2017–18	2,84,90,742.00	5,00,00,000.00	7,84,90,742.00	4,27,46,522.00	3,57,44,220.00
3	2018–19	3,57,44,220.00	6,09,00,000.00	9,66,44,220.00	7,05,49,195.00	2,60,95,025.00
4	2019–20	2,60,95,025.00	-	2,60,95,025.00	2,60,79,051.00	15,974.00
5	2020–21 (till date)	15,974.00	-	15,974.00	-	15,974.00

10. वित्तीय वर्ष 2018–19 में झालको को मात्र 609.00 लाख की अनुदान राशि विमुक्त की गई। पूर्व में प्राप्त अनुदान की शेष राशि रू0 35744220.00 एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में विमुक्त की गई राशि रू0 609.00 लाख मिलाकर कुल राशि रू0 96644220.00 के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 70549195.00 व्यय किया गया, शेष बची राशि रू0 26095025.00 में से कुल रू0 26079051.00 वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय किया गया। कुल रू0 15974.00 झालको के पास शेष है।

11. उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनजर प्रस्ताव है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में झालको को रू० 18918156.00 का अनुदान स्वीकृत प्रदान की जाती है।

12. झालको को रू० 18918156.00 की अनुदान की राशि निम्नरूप से भारित किया जा सकेगा –

(क) बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–2702–लघु सिंचाई–उप मुख्यशीर्ष–01–सतही जल–लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–02–झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति, एवं झालको हेतु वेतन अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–46–सहायता अनुदान सामान्य'' अंतर्गत कुल रू० रू० 18918156.00 (एक करोड़ नवासी लाख अठारह हजार एक सौ छप्पन रूपये) मात्र भारित होगा।

13. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदधिकारी प्रबंध निदेशक झालको होंगे।

14. प्रबंध निदेशक, झालको प्रस्तावित कार्य हेतु आवंटित राशि को पी॰एल॰ खाता में जमा करेंगे।इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

15. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

16. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दि0–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन की जायेगी।

17. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

18. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

19. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

19/11/20

(प्रशांत कुमार)
सचिव,

पत्रांकः 3 पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–37/12–13/ 07/20-21 प्र.(प)/राँची, दिनांकः 19.11.2020

प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार /आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि0)

पत्रांकः 3 पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–37/12–13/ 07/20-21 प्र.(प)/राँची, दिनांकः 19.11.2020

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, राँची, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि0)

पत्रांकः 3 पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–37/12–13/ 07/20-21 प्र.(प)/राँची, दिनांकः 19.11.2020

प्रतिलिपिः अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/प्रबंध निदेशक, झालको, राँची /मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि0)

पत्रांकः 3 पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–37/12–13/ 07/20-21 प्र(प)/राँची, दिनांकः 19.11.2020
प्रतिलिपिः आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची/उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग/आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा/आयुक्त, पलामू प्रमंडल/आयुक्त, संथाल परगना, दुमका प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि0)

पत्रांकः 3 पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–37/12–13/ 07/20-21 प्र(प)/राँची, दिनांकः 19.11.2020
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि0)

पत्रांकः 3 पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–37/12–13/ 07/20-21 प्र(प)/राँची, दिनांकः 19.11.2020
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि0)